सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र स0 81/2018

दयाल पुत्र अर्जुन माली बगै.निवासी प्रान्हेडा ग्राम .पचायत प्रान्हेडा तह. केकडी जिला अजमेर (राज.)
———प्राथी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर
————अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम बाबत घोषणा

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

निर्णय दिनांक 11.5.2018

पत्रावली आज दिनांक लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 केम्प प्रान्हेडा में पेश हुई। वादी प्रार्थी /अप्रार्थीगण उपस्थित । उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेशकर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी वाके **ग्राम प्रान्हेडा तहसील केकडी की के जमाबन्दी संवत 2069–2072 के खाता संख्या 339, 340, 337 में दर्ज में भोली पत्नि अर्जुन , दयाल , जगन्नाथ वल्द अर्जुन राधा पुत्री अर्जुन मनभर पतिन हरनाथ हरिराम रामचन्द पुत्र हरनाथ , कमला पुत्री हरनाथ के हिस्से में से दयाल गोद चले जाने से दयाल का नाम दयाल के पिता अर्जुन की सम्पति में से हटाने/विलोपित करवाये का निवेदन किया है।**

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया जावें । पटवारी हल्का से प्राप्त रिपोर्ट में प्रार्थीया का नाम ग्राम प्रान्हेडा जमाबन्दी संवत 2069–2072 में खाता स. **339, 340, 337 में दर्ज में भोली पत्नि अर्जुन , दयाल , जगन्नाथ वल्द अर्जुन राधा पुत्री अर्जुन मनभर पत्नि हरनाथ हरिराम रामचन्द पुत्र हरनाथ , कमला पुत्री हरनाथ के हिस्से में से दयाल गोद चले जाने से दयाल का नाम दयाल के पिता अर्जुन की सम्पति में से हटाने/विलोपित** किया जाना उचित बताया है।

अतः प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया साथ ही तहसीलदार केकडी भू.अभि.निरी. व पटवारी हल्का प्रान्हेडा की रिपोर्ट की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम प्रान्हेडा में खाता संख्या **339, 340, 337 में दर्ज में से दयाल गोद चले जाने से दयाल का नाम उसके पिता अर्जुन की सम्पति में से हटाने/विलोपित** किये जाने की घोषणा की जाती है। यदि किसी न्यायालय में कोई आपारधिक वाद या जांच **दयाल पुत्र अर्जुन** के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थी **दयाल पुत्र अर्जुन** के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिये भी **दयाल पुत्र अर्जुन** नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार **केकडी** को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 11.5.2018 को लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प प्रान्हेडां में मज में आम में सुनाया गया व पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे एंव उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी